सप्तदश माला, खंड 7, अंक 7 **शुक्रवार, 7 फरवरी, 2020**

18 माघ, 1941 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 7 में 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

© 2020 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 2020 / 1941 (शक)

अंक 7, शुक्रवार, 7 फरवरी, 2020 / 18 माघ, 1941 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1]*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 87 और 89	*6-29*
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 88 और 90 से 100	30
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150	30

[1]* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 7 फरवरी, 2020 / 18 माघ, 1941 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 81, श्री चन्द्र शेखर साहू।

(प्रश्न संख्या 81)

श्री चंद्र शेखर साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को विस्तृत उत्तर देने के लिए बधाई देता हूं। माननीय मंत्री से मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि इस कार्यक्रम में शामिल विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किस प्रकार का तंत्र विकसित किया गया है?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: महोदय, माननीय सदस्य की प्रशंसा को मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती हूं और उनकी इस अथाह कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं। मैं ओडिशा राज्य को भी बधाई देना चाहती हूँ। इस सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान, *पोषण अभियान* में ओडिशा शामिल नहीं हुआ था। मैंने ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री से की गई वार्ता के दौरान उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि ओडिशा को भी इस *संकल्प* में, जिसमें हम बच्चों को पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवन प्रदान करना चाहते हैं, शामिल होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे अनुरोध को स्वीकार भी किया था। आज, ओडिशा भी इस विशेष *अभियान* का एक हिस्सा है।

जहां तक संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय का प्रश्न है, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी कि पिछले सत्र में आपने मेरे मंत्रालय को देशभर में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक आहार चार्ट तैयार किए जाने का निदेश दिया था। हमारे देश के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मंत्रालयों ने आपस में और राज्यों के साथ मिलकर आहार संबंधी प्रथाओं पर एकत्रित होकर विचार-विमर्श किया है। हम इस महत्वपूर्ण प्रयास को अंतिम रूप देने के चरण में हैं। जहां तक *पोषण अभियान* की बात है,

तो हम लगभग हर महीने इस पर विचार करते हैं। साथ ही, हम देश में महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर लगातार ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी राज्य सरकारों से बात करके यह पोषण क्या मिलना चाहिए, इस पर भी आपको सब राज्य सरकारों से चर्चा करनी चाहिए। बहुत गम्भीर मामला है।

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निश्चित रूप से आपके इस निर्देश का स्वागत करती हूँ। हमने कल ही हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ एक बैठक की, जो डाइट चार्ट बनाने का आदेश आपके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ, राज्य सरकारों के साथ, आयुष के साथ भी हमारी मीटिंग हो चुकी है। इस सदन में बार-बार और प्रधान मंत्री जी के निर्देश में भी यह इंगित हुआ है कि स्ट्रेटस की जो डाइट डाइवर्सिटी है, उसको सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाए। मिलेट्स को हम चाहेंगे और प्रमोट किया जाए। रिफाइंड शुगर की बजाय जैगरी प्रमोट किया जाए। पाम ऑयल कहीं भी बच्चों के न्यूट्रिशियस टेक होम राशन में इस्तेमाल न हो। इस प्रकार का समन्वय हम राज्यों से कर चुके हैं। आगे भी करते रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री चंद्रशेखर साहू : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, यदि आप राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2005-06 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015-16 को देखें, तो पांच साल से कम उम्र के बच्चे जो कम विकसित हैं, उम्र के हिसाब से जिनकी ऊंचाई कम है, उसमें ओडिशा का आंकड़ा 34.1 प्रतिशत है, जबकि भारत का औसत 38.4 प्रतिशत है। वहीं, अगर बात करें पांच साल से कम उम्र के बच्चों में जिनका वजन उनके कद के मुकाबले कम है, तो ओडिशा का आंकड़ा 22 प्रतिशत है, जबकि भारत का औसत 21 प्रतिशत है। कुछ क्षेत्रों में ओडिशा सकारात्मक परिणाम दिखा रहा है।

माननीय मंत्री से मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या मंत्रालय या केंद्र सरकार ओडिशा जैसे अच्छा कार्य - निष्पादन करने वाले राज्य को पुरस्कृत करने की योजना बना रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन

पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और जहां कुछ आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर से भी कहीं बेहतर है।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: यह हमारे लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सहकारी संघवाद के सार को ध्यान में रखते हुए आगे आए हैं। इसका एकमात्र अपवाद पश्चिम बंगाल राज्य है। मैं पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ माननीय सदस्यों से भी आग्रह करना चाहूंगी कि वे भी इसे सुनिश्चित करें। मैंने पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री से बात की है और उनसे अनुरोध किया है कि वे कृपया 'पोषण अभियान' के लिए आगे आएं।

जहां तक पुरस्कारों का संबंध है, मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा को बताना चाहूंगी कि हमने एक पोषण अभियान पुरस्कार की शुरुआत की है जो सभी राज्य सरकारों और सभी आंगनवाड़ियों के लिए लागू है। राज्यों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए हाल ही में पुरस्कार के रूप में 22 करोड़ रुपये का वितरण सुनिश्चित किया गया है। …(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: वे जो कहना चाहते थे वह यह था कि पुरस्कार के माध्यम से कुछ और सहायता मिलनी चाहिए।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: मेरा बिल्कुल यही कहना है, महोदय। नकद पुरस्कार, जो विशिष्ट राज्यों या फिर विशेष आंगनवाड़ियों को दिया जाता है, वह महिलाओं और बच्चों तक पोषण पहुंचाने के लिए बेहतर संस्थागत तंत्र के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। जहां तक राज्यों को अधिक बजटीय आवंटन की बात है, अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए बजटीय आवंटन कोई चुनौती नहीं है, खासकर उन राज्यों के लिए जिन्होंने अपने निर्धारित लक्ष्य पूरे किए हैं।

श्री कल्याण बनर्जी: मैं आपके माध्यम से आंगनवाड़ियों और अन्य सामाजिक सुधार योजनाओं के संबंध में और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के संबंध में और जो इससे जुड़ी हैं और जिन्हें प्राथमिकता दी गई है, उनके संबंध में सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूँ। मैं आपको केवल स्व-सहायता समूहों का एक उदाहरण दे रहा हूँ। स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए एक कानून क्यों नहीं लाया गया

है? महिलाएँ इसके अंतर्गत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब स्व-सहायता समूहों को प्राथमिकता मिलेगी। स्व-सहायता समूहों के पीछे कुछ अन्य व्यक्ति हैं जो इसका नियंत्रण कर रहे हैं और वास्तविक लाभ स्व-सहायता समूहों को नहीं मिल पा रहा है। क्या आप इसके संबंध में किसी तंत्र के बारे में सोच सकते हैं जिससे हम कानूनी तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकें?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: मैं यहां कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, वह पूरी तरह से उचित है और ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां हमने तथाकथित संस्थाओं को सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए देखा गया है। मैंने अपने विभाग में स्पष्ट रूप से कहा है कि पोषण कुछ संगठनों के लिए पैसा बनाने या रोजगार देने का साधन नहीं है। यह धनराशि इसलिए दी गई है ताकि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों तक पौष्टिक भोजन और जीवन निर्वाह सहायता पहुंचाई जा सके।

जहां तक कानून लाने का सवाल है, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि 'टेक होम राशन' की डिलीवरी के संबंध में अधिक पारदर्शिता हो। मैं इस बात को दोहराती हूँ कि अब हम स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के साथ वार्ता कर रहे हैं। कल ही, हम काफी हद तक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अब हम यह सुनिश्चित करने के लिए पी.ओ.एस. मशीनों और बार कोडिंग का उपयोग करेंगे कि हमें केवल प्राप्तकर्ताओं द्वारा पुष्टि की गई डिलीवरी मिलें। आज हमारे पास एक सी.ए.एस. तंत्र भी है जहां साढ़े आठ करोड़ लाभार्थियों की डिजिटल मैपिंग की जाती है। तो, वह विशेष प्रणाली, जो कि डिजिटल है, 15 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है ताकि यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए भाषा अगर चुनौती बन जाए, तो हम उस चुनौती को भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा एक कॉल सेंटर भी उपलब्ध है जो न केवल लोगों को डेटा अपलोड करने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि यदि डेटा में कोई अंतर है, तो हम तुरंत राज्य को सचेत करें। एक बार फिर, मैं आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ माननीय सदस्यों से पोषण के संबंध में जुड़ने का अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी लोग संक्षेप में प्रश्न पूछें और संक्षेप में ही उनका उत्तर आए, क्योंकि हमें प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ानी है।

[अनुवाद]

श्री रघु राम कृष्ण राजू : धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने भारत सरकार की योजनाओं के बारे में माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ा है जो बहुत अच्छा है। लेकिन अपने राज्य की बात करते हुए, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 'जगनन्ना गोरुमुद्दा' नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। हर जिले में हमने ऐसे बच्चों की पहचान की है जिनकी ऊंचाई अपेक्षित नहीं है, जहां आयु सूचकांक बहुत कम है और जहां कुपोषण है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आंगनवाड़ी, पी.एम.एम.वी.वाई. जैसी योजनाओं के अलावा हम रोजाना बच्चों को अंडे और दूध भी प्रदान कर रहे हैं। हम ऐसे बच्चों की पहचान करके अतिरिक्त सतर्कता भी बरत रहे हैं।

इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी को इस तरह की किसी योजना की जानकारी है।

यदि मंत्री जी को जानकारी है, तो क्या हम कुछ जिलों या कुपोषण से पीड़ित बच्चों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं? क्या पूरे देश के हित के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है?

[हिन्दी]

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: सर, आपका आदेश था कि संक्षेप में जवाब दिया जाए तो आदेश का पालन करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि [अनुवाद] हम सभी राज्यों की उत्तम कार्य विधियों और नई पहलों की सराहना करते हैं। वे उन कार्य विधियों के लिए स्वतंत्र हैं। भारत सरकार के रूप में हमारी क्षमताओं को देखते हुए, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम राज्यों के साथ परामर्श करें कि किस प्रकार का आवंटन और किस प्रकार के कार्यक्रम वे अपने राज्यों में शुरू करना चाहते हैं। प्रत्येक राज्य कुछ मापदंडों को अपने अनुसार अनुकूलित करने के लिए स्वतंत्र है।

(प्रश्न संख्या 82)

[हिन्दी]

श्री मनोज कोटक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वायु प्रदूषण से लेकर 'नेशनल क्लीन एयर मिशन' से संबंधित था।

महोदय, पहले मैं, सरकार का अभिनन्दन करूंगा कि इस बजट के अन्दर पिछले सालों की तुलना में दस गुनी राशि बढाई गई है, 4,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन, उसके साथ-साथ यह जानना चाहूंगा कि एफेक्टिव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए इंडस्ट्रियल या व्हीक्युलर सेक्टर के ऊपर क्या खास तौर से हम कुछ काम कर रहे हैं? एनफोर्समेंट मैकेनिज्म या स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग कपैसिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री बाबुल सुप्रियो: सर, आपके आदेशानुसार मैं शॉर्ट में उत्तर देने की कोशिश करूंगा, लेकिन सरकार ने इतना काम किया है कि अगर मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा तो यह उनके साथ भी नाइंसाफी होगी।

सर, नेशनल क्लीन एयर मिशन (एन.सी.ए.पी.) जो है, वह लॉंग टर्म और टाइम बाउंड मिशन है।

माननीय अध्यक्ष: आप शॉर्ट में जवाब दे दीजिए, बाकी आप लिखित में भेज देना।

श्री बाबुल सुप्रियो: सर, मैं पढ़ नहीं रहा हूं।

पी.एम.-10 और जो पी.एम.-2.5 है, उसमें पी.एम.-10 का जो लेवल है, वॉल्यूम के हिसाब से डिज़ायरेबल लेवल 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। हमने पूरे देश में 102 शहरों को चुना है। अगर हम वर्ष 2017 के बेस को पकड़ें तो वर्ष 2024 तक वहां हम 90 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के हिसाब से हम कम करना चाहते हैं। इस वक्त मुझे यह बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि पूरे देश में प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे मंत्रालय सिन्क्रोनाइज्ड वे में इस पर काम कर रहे हैं।

सर, माननीय सदस्य के प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है कि बाकी मंत्रालय इसमें क्या करेंगे तो अगर आप मुझे दो मिनट का समय दें तो मैं बता दूं कि पाँच मंत्रालय अलग-अलग काम कर रहे हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एण्ड अर्बन अफेयर्स (एम.ओ.एच.यू.ए.) ने अर्बन डेवलपमेंट फण्ड्स से 309 करोड़ रुपये दिए हैं, जो दिल्ली सरकार के एम.सी.डीज़. को दिए गए हैं। एस.डी.एम.सी. को 89 करोड़ रुपये, ई.डी.एम.सी. को 110 करोड़ रुपये और नॉर्थ एम.सी.डी. को 110 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दिल्ली सरकार को इसके लिए अलग से फण्ड्स दिए गए हैं। [अनुवाद] उन्हें इस धनराशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करना चाहिए।

[हिन्दी]

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1,178.47 करोड़ रुपये दिए गए हैं, यह राशि उन्हें फसल अवशेषों के स्थानिक प्रबंधन में कृषि तंत्र के प्रचार-प्रसार के लिए दी गई है। स्टबल बर्निंग का जो इश्यू है, उसके लिए दिए गए हैं।

इसके अलावा, भारी उद्योग विभाग में फेम-1 (एफ.ए.एम.ड़) स्कीम बहुत दिनों से चल रही थी, वहां फेम-2 स्कीम में [अनुवाद] इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और उनके निर्माण [हिन्दी] के लिए तीन सालों में दस हजार करोड़ रुपये का बजट सैंक्शन किया गया है।

इसके अलावा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बी.एस.-4 से ख.एस.-6 में स्विच-ओवर करने के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च किया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ मिल कर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली के लिए बना है, दिल्ली का जो खर्च है, वह एन.सी.ए.पी. से नहीं जाता है, वह एक अलग फण्ड 'ई.पी.सी.' से जाता है। यह जो बना है, उसमें 17,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उससे 60,000 वाहन दिल्ली में नहीं घुसते हैं और वे बाहर से जाते हैं।

एम.ओ.एच.यू.ए. की एक और मुहिम है, जिसमें मेट्रो रेल में 377 किलोमीटर और 277 स्टेशंस में 70,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसलिए केन्द्र सरकार इसे बहुत सीरियसली ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने फण्ड्स को जल्द से जल्द खर्च करें, ताकि कचड़े का जो पहाड़ बना हुआ है, वह न बने।

श्री मनोज कोटक : महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह है कि मुम्बई और दिल्ली में जगह की काफी कमी है। हमारी सरकार का संकल्प है कि ई-व्हीकल बढ़ाया जाए। ई- व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाना है। चूंकि मुम्बई तथा दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जगह की कमी है। सरकार इसके लिए क्या प्रावधान कर रही है? उसके बारे में कृपया मंत्री जी बताए।

श्री बाबुल सुप्रियो: सर, इलेक्ट्रिक्ल व्हीकल का जहां तक सवाल है, इसमें चार्जिंग प्वाइंट्स और इलेक्ट्रिक्ल व्हीकल्स की बात है। इसमें मोटा-मोटी चिकन एंड ऐग वाली बात है, क्योंकि जिसको आप पहले ऑर्डर देंगे, वह पहले होगा। जब आप इलेक्ट्रिक्ल व्हीकल खरीदेंगे तब चार्जिंग प्वाइंट बनाएंगे या चार्जिंग प्वाइंट बना लेंगे फिर आप इलेक्ट्रिक्ल व्हीकल खरीदेंगे।! जो इलेक्ट्रिक्ल व्हीकल्स बनाने वाले हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है। चूंकि आपका इलेक्ट्रिक्ल व्हीकल थोड़ा कॉस्टली होता है। उसमें कैपेक्स थोड़ा हाई होता है, लेकिन बाद में जो ऑपरेशनल एक्सपेन्सेज हैं, वे चीप की तरफ डिकलाइन होता है। वह जो पैसा खर्च करेंगे, जब गाड़ी खरीदेंगे, तब गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट लगाया जाएगा।

आपको जानकर खुशी होगी कि यूरोप में, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चलते हैं। घर पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग हो सकती है। उसके लिए रास्ते में भी जरुरत होती है, लेकिन [अनुवाद] यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: प्रश्न का उत्तर अतिशयोक्तिपूर्ण है और आशय का वक्तव्य मात्र है। जहां तक भारत का संबंध है, हर आठ में से एक मौत का कारण वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के कारण हर साल हमारी जी.डी.पी. का तीन प्रतिशत नुकसान हो रहा है। यह हास्यास्पद है कि 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए प्रति शहर 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है और 5 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सिर्फ प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मेरा क्वेश्चन यही है। जवाब के ऊपर ही तो मैं बोलूंगा। वह जो जवाब दे रहे हैं, एक सिटी के लिए पांच लाख रुपये, किसी दूसरे के लिए 10 लाख रुपये दे रहे हैं। इस पैसे से क्या होगा? यह फंड मैनेजमेंट की कोई बात नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि [अनुवाद] यह अनुमान लगाया गया है कि हमें देश में विशेष रूप से और अस्थायी रूप से वायु गुणवत्ता बताने वाले शहरी क्षेत्रों में 2800 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 समेत कम से कम 4000 सतत निगरानी स्टेशनों की आवश्यकता है। परिवेश की निगरानी के अलावा, प्रदूषण के स्रोतों को जानने का एक महत्वपूर्ण पहलू उत्सर्जन की निगरानी करना और उस जानकारी को आगे के विश्लेषण के लिए वास्तविक समय में उपलब्ध कराना है। यह कार्य कार्यक्रम में अनुपलब्ध है। इसलिए, यह केवल एक अधूरा और अस्पष्ट बयान है, जो बस एक आशय व्यक्त करता है, और इसके अलावा कुछ नहीं। यह इस सरकार की पूरी विफलता को दर्शाता है।

[हिन्दी]

श्री बाबुल सुप्रियो: सर, यह बड़ा स्पेसिफिक ऐलिगेशन है। अधीर दादा 'फिट इंडिया' मूवमेंट के तहत सुबह योगा में बहुत टाइम देते होंगे, ऑन्सर ठीक से पढ़ते नहीं है। आपको मैं इसके लिए ... [2*]चाहता हूं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपको ... * का अधिकार नहीं दिया गया है। यह गलत है।

... (व्यवधान)

श्री बाबुल सुप्रियो: सर, इसको एक्सपंज कर दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह आपका गलत तरीका है। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप मंत्री जी को बताइए।

... (व्यवधान)

[2*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री गौरव गोगोई: उन्हें माफी मांगनी चाहिए ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: इसको एक्सपंज कर दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री बाबुल सुप्रियो: सर, जो अधीर दादा है, उनको मैं बहुत सालों से जानता हूं। ... (व्यवधान) इस वर्ड को मैं वापस ले लेता हूं। लेकिन आपको यह मालूम नहीं है... (व्यवधान) अधीर दादा को मैं बहुत सालों से जानता हूं।... (व्यवधान) मैं उनसे बात कर लूंगा। आप बैठिए।... (व्यवधान)

सर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि 28 सिटीज़ ऐसी हैं, ...(व्यवधान) दादा, आप बैठिए। मैंने डॉंट वापस ले ली है, फिर भी आपको क्यों तकलीफ है।... (व्यवधान) सुरेश जी, अभी भी हँस रहे हैं।... (व्यवधान) जहां पर 10 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर 10 करोड़ रुपये दिए जाते हैं।... (व्यवधान) जब मेरा पूरा ऑन्सर ही अधीर दादा ने पढ़ दिया तो मैं ऑन्सर क्या दूंगा। स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्पान्सबिलिटिज़ होती हैं। वह भी स्टेट पॉलूशन के लिए काम करें। जहां पर पांच लाख से कम लोग है, वहां के लिए वे पैसे दिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाया जाएगा, उसके बारे में क्लीयर नहीं बताया गया। इसके बाद मेरा ही ऑन्सर मुझे पढ़कर सुनाया जाए, इसे मैं ठीक नहीं समझता हूं। इस ऑन्सर को पढ़ने से कुछ नहीं होता, बल्कि थोड़ा समझना भी चाहिए। ... (व्यवधान)

दादा, आप एक मिनट के लिए बैठिए।... (व्यवधान) आप बहुत ज्यादा ऐजिटैटेड रहते हैं। इससे पहले आप ऑन्सर सुनने का धीरज दिखाइए।... (व्यवधान) आप अधीर मत होइए।... (व्यवधान) दादा, जरा आप बैठिए। ध्यान देने से क्या होता है, सुनने का माद्दा भी होना चाहिए न।... (व्यवधान) आप ऐसा करेंगे तो मैंने जो आपको जवाब दिया है, मैंने पांच पेज में जवाब दिया है।... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 83)

श्री रेबती त्रिपुरा: सर, 'आयुष्मान भारत' के ऊपर मेरा प्रश्न है। सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। 'आयुष्मान भारत' के तहत भारत में करीब 50 करोड़ लोगों को हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है। मेरा मानना है कि अभी तक दिल्ली और वेस्ट बंगाल समेत बहुत से ऐसे राज्य हैं, जहां 'आयुष्मान भारत' को लागू नहीं किया गया। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि जहां यह अभी तक लागू नहीं हुआ है, वहां भी गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को सुविधा देने के लिए ऐसा कुछ मैकेनिज्म या व्यवस्था मंत्री जी की सोच में है, ताकि वहां के गरीब लोगों को भी ये फैसिलिटीज़ मिलें?

डॉ. हर्ष वर्धन: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो मत और दो राय नहीं कि अभी भी देश में चार राज्य ऐसे हैं, जो हमारी 'आयुष्मान भारत' स्कीम को लागू नहीं कर रहे हैं। इसमें दिल्ली, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और ओडिशा हैं। लगातार पिछले 6 महीने से स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहला काम यह किया कि यहां के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा और उनसे व्यक्तिगत टेलीफोन पर भी बात की। हम लगातार उनके साथ अपने आफिसर्स के माध्यम से पर्स्यू कर रहे हैं कि वे इस एंबीशियस स्कीम को जिससे देश के अंदर 55 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को फायदा पहुंच रहा है, उनके जीवन में बीमारी के कारण जो इतनी जबरदस्त तकलीफ होती थी, लोगों के घर बिक जाते थे, लोगों के मकान बिक जाते थे, सारा जीवन बर्बाद हो जाता था, अब उनको एक राहत मिली है। अभी करीब एक साल के लगभग पीरियड बीता है और 82 लाख से ज्यादा लोगों को इस 'आयुष्मान भारत' योजना से फायदा हो चुका है। 'आयुष्मान भारत' को, क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम है, हम जबरदस्ती तो इन स्टेट्स में लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे माध्यम हैं, जिसमें इन स्टेट्स के गरीब मरीजों के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि और दूसरी सुविधायें, प्रधान मंत्री राहत कोष से, स्वास्थ्य मंत्रालय से गरीबों के लिए जो मदद की जा सकती है, जिस स्तर तक भी की जा सकती है, वह हम करते हैं। हम इस सदन के माध्यम से फिर से इन स्टेट्स से और उनके मुख्यमंत्रियों से रिक्वैस्ट करना चाहते हैं कि आप वहां के गरीब लोगों के हित में, इस विषय को राजनीति से ऊपर उठकर देखें और गरीब लोगों के हित में इस योजना को उन स्टेट्स में भी लागू करें।

इस योजना के संदर्भ में प्रधान मंत्री को यूनाइटेड नेशंस में बुलाया गया। सारी दुनिया इस योजना को एप्रीशिएट कर रही है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर प्रधान मंत्री जी का यूनाइटेड नेशंस में बयान हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा एंबीशियस प्रोग्राम है। आजादी के 70 वर्षों के बाद शायद इतना बड़ा कार्यक्रम और जो स्वास्थ्य के हितों की रक्षा करने के लिए हो, कभी देश के अंदर इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी।

श्री रेबती त्रिपुरा : सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वैश्चन यह है कि 'आयुष्मान भारत', जिनके पास बीपीएल कार्ड या अंत्योदय कार्ड होता है, उनको इसका लाभ दिया जाता है, लेकिन जो एपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, उनमें भी बहुत से गरीब लोग हैं। उनके लिए भी मिनिस्ट्री अगर सोचे तो बहुत अच्छा होगा।

डॉ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में एक सोशियो-इकॉनामिक कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था। इसके अंतर्गत लगभग 10.74 करोड़ ऐसे गरीब लोग थे। एक प्रकार से अभी तो यह एक एंटाइटलमेंट स्कीम है। इसके तहत करीब 55 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें एंटाइटल्ड हैं। इसमें ब्रॉडली, जो वास्तव में बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, वे सब इसके अंदर कवर्ड हैं।

जैसा उन्होंने सुझाव दिया, अल्टीमेटली भविष्य में इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम का दूसरा कम्पोनेंट है। उसके माध्यम से हम देश भर में आने वाले वर्षों में 2022 तक डेढ़ लाख हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें ग्रासरुट लेवल पर पॉजिटीव हेल्थ और प्रिवेन्टिव हैल्थ सर्विसेज को इन्कलूड किया गया है, हम 27-28 हजार ऑलरेडी बना चुके हैं। इस 31 मार्च तक यह चालीस हजार की संख्या तक पहुंचने वाला है, 31 दिसम्बर, 2022 तक डेढ़ लाख तक पहुंचने वाले हैं। इससे लोगों को पॉजिटिव हैल्थ, प्रिवेन्टिव हैल्थ और क्यूरेटिव हैल्थ की सुविधाएं देने के लिए हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को डेवलप व स्ट्रैन्थेन कर रहे हैं।

श्री महाबली सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो विवरण सदन पटल पर रखा है, उससे मैं सहमत हूं लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद देश में गरीब परिवार के लोगों का इलाज और दवा के अभाव में मौत हो जाती थी। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक ऐसी योजना चालू की जिससे गरीब परिवार जो दवा के अभाव में मरते थे, वे अब नहीं मरेंगे, उनको जीवनदान देने का काम किया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार में बीपीएल सूची में जिन गरीबों को चिन्हित किया गया है, उनकी आबादी पांच करोड़ चौरासी लाख इक्यावन हजार के लगभग है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आंकड़े बताने का काम अपना नहीं है, आप सीधा सवाल पूछिए।

श्री महाबली सिंह: अध्यक्ष महोदय, उसमें 43,48,901 लोगों को ही आयुष्मान हैल्थ कार्ड निर्गत किये गये है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बीपीएल परिवार के गरीब लोग छूट गए हैं, क्या सरकार उन बीपीएल परिवारों को आयुष्मान हैल्थ कार्ड निर्गत करने का विचार औरकब तक करती है?

डॉ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मैंबर साहब को जानकारी देना चाहता हूं कि जो 10.74 करोड़, यानी लगभग 55 करोड़ से ज्यादा इंसान इस स्कीम के एंटाइटलमेंट हैं। जो कार्ड दिया जा रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेर किया जा रहा है। केवल इस कार्ड के कारण ही इलाज नहीं हो रहा है, जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, अगर वे बाइस हजार अस्पतालों में से किसी भी जगह पर जाते हैं और वहां जाकर अपना नाम, एड्रेस या अपनी उम्र बताते हैं तो हर अस्पताल के अंदर पीएमजेएवाई के लिए एक आरोग्य मित्र है। फोन नम्बर- 14555 पर कोई भी टेलीफोन करके अपना इंटाइटलमेंट पूछ सकता है कि वह इस स्कीम का पात्र है या नहीं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, वह पूछ रहे हैं कि इसके अलावा भी कार्ड देंगे?

डॉ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष महोदय, हमें 55 करोड़ लोगों को इंडिव्जुअल कार्ड देना है। हम आप सभी की सहायता चाहते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर और स्टेट्स ने भी बहुत सारी स्कीम्स लागू की हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक 12.04 करोड़ लोगों ने अपने हाथ में लिया। इसके अलावा 43 करोड़ लोग हैं, जो बिना कार्ड किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं। जेब में पैसा नहीं भी है तो भी बाइस हजार इम्पैनल्ड अस्पताल में जाएंगे तो उनका इलाज शुरू हो जाएगा।

(प्रश्न संख्या 84)

[अनुवाद]

श्री बैन्नी बेहनन: महोदय, हम माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से बहुत निराश हैं क्योंकि केरल लंबे समय से राष्ट्रीय संस्थान की मांग करता आ रहा है। महोदय, आप जानते हैं कि केरल में पहले से ही चिकित्सा की इस शाखा की एक सुस्थापित परंपरा और प्राचीन पद्धति है। शायद हम भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में पहले स्थान पर हैं।

आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली केरल में चिकित्सा पर्यटन का एक बड़ा स्रोत है और जहां भी इसकी प्रैक्टिस की जाती है, वहां यह देश के लिए सम्मान के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रही है। क्या सरकार अतुल्य भारत कार्यक्रम और इसके पर्यटन संवर्धन कार्यकलापों में प्रमुख आयुर्वेद केंद्रों को शामिल करेगी?

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह बहुत ही पुराने सदस्य हैं। इनका अनुभव बहुत अच्छा है।

माननीय अध्यक्ष: ज्यादा अनुभव नहीं है, नए हैं।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, इनका राजनीति में बड़ा अनुभव है। हमारे देश में दक्षिण में बसा हुआ केरल राज्य सदियों से आयुर्वेद पद्धति का बहुत ही सुविख्यात स्थान है, इसमें कहीं दो मत नहीं है।

इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने केरल राज्य में आयुष मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा सीसीआरएएस नामक स्वायत्त संस्था द्वारा दो महत्वपूर्ण रिसर्च इंस्टीट्यूट का संचालन सुनिश्चित किया है। इनमें से एक है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पंचकर्म, चेरुतुरुथी तथा दूसरा है आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड हैल्थ केयर, त्रिवेन्द्रम। सैंटर फॉर एक्सीलेंस योजना 2007 में सरकार ने चलाई थी, सरकार ने 2017 में पंचकर्म इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया है। इसका प्रत्यक्ष संचालन भी केंद्र सरकार स्वयं कर रही है। केरल राज्य को कितना महत्व दिया गया है,

इस बात से इंगित होता है कि सरकार ने पूरे देश में 36 ऐसे संस्थानों को सैंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया है, जिसमें से छ: केवल केरल राज्य को दिए गए हैं।

मेरा मत है कि आयुष मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत छ: संस्थानों को 25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी पिछले दिनों दी है। सरकार आयुष मंत्रालय की इस योजना के तहत पहले से चल रहे संस्थानों को, चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी हो, एनजीओ या ट्रस्ट द्वारा संचालित हो, तय मानदंड के आधार पर दस करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता देकर सैंटर ऑफ एक्सीलेंस में परिणत करती रही है।

अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा है, उसमें सरकार ने यह काम किया है और केरल को बहुत महत्व दिया है।

[अनुवाद]

श्री बैन्नी बेहनन: महोदय, आपके द्वारा कुछ अनुदान दिया गया है लेकिन अधिकांश संस्थान निजी क्षेत्र के अधीन हैं, न कि सरकारी क्षेत्र के। चेरुथुरुथी में पंचकर्म अस्पताल राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहा है।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि आयुर्वेद को कई देशों द्वारा एक स्वीकृत चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाया जा रहा है और सरकार द्वारा और अधिक देशों में इस प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, मैंने स्पष्ट बताया है कि केरल में दो सरकारी संस्थान हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बैन्नी बेहनन: कई देशों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति प्रचलित है। क्या सरकार के पास आयुर्वेद को अन्य देशों में बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है?

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कई सेमिनार और कई प्रकार के बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तथा अभी कई देशों के साथ एग्रीमेंट भी होना है। उस स्तर पर भारत सरकार आयुष मंत्रालय के माध्यम से काम कर रही है और निकट भविष्य में कुछ इस प्रकार एग्रीमेंट भी होने वाले हैं।

(प्रश्न संख्या 85)

[अनुवाद]

श्री तालारी रंगैय्या : महोदय मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, लगभग हर राज्य में हर साल जंगल में आग लगती है। कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में अधिक असुरक्षित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री बाबुल सुप्रियो: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं, आपको जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया में केवल सात या आठ ऐसे देश हैं, जहां पर फॉरेस्ट कवर इन्क्रीज हुआ है। भारत उनमें से एक है। यहां पिछले कई सालों से 2 परसेंट से ऊपर फॉरेस्ट कवर इन्क्रीज हुआ है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवॉयरमेंट एंड फॉरेस्ट के बहुत सारे प्रकल्प हैं, जिसमें प्लांटेशन को एनकरेज किया जाता है, जिसमें नगर वन उद्यान योजना, स्कूल नर्सरी योजना ये सब हैं। लेकिन, आप जो स्पेसिफिक सवाल कर रहे हैं कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट के लिए स्पेसिफिक एक प्रोग्राम है, जिसका नाम 'नैप (एन.ए.पी.)' है। लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे रही है। इसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम कहा जाता है। ट्री प्लांटेशन डिग्रेडेड फॉरेस्ट में लोगों के पार्टिसिपेशन और नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया (जीआईएम) दोनों चीजें चल रही हैं। इसमें 2 मिलियन हेक्टेयर जगह में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 3 हजार 874 करोड़ रुपये केवल नैप के लिए, आपने जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट के बारे में कहा है, उसके लिए खर्च किया जा रहा है। हम यह उम्मीद करते हैं कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के सहयोग से हम बहुत जल्द फॉरेस्ट कवर को और बढ़ा पाएंगे और जो जगह डिग्रेड हुई है, टॉप सॉयल खराब हुई है, वहां अफॉरस्टेशन से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री तालारी रंगैय्या: महोदय, असल में, आपका उत्तर अप्रासंगिक है। मैं पूछ रहा हूँ कि आप वनाग्नि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री बाबुल सुप्रियो: मैं फॉरेस्ट फायर के बारे में बताना चाहता हूं। फॉरेस्ट फायर्स के लिए एक अलग स्कीम है, जिसमें फॉरेस्ट फायर्स को काउंटर किया जाता है। जब फॉरेस्ट फायर्स बनते हैं तो डिफॉरेस्टेशन होता है, प्लांटेशन्स जल जाते हैं, इस पर भी यही फंड खर्च होता है। इसके अलावा, जहां पर फॉरेस्ट फायर्स होता है, वहां पर अलग से फाइनेंशिएल सपोर्ट दिया जाता है। पांच एलर्ट सिस्टम हैं, जिसको एफएसआई के माध्यम से डेवलप किया गया है। एलर्ट सिस्टम के आधार पर जहां-जहां फॉरेस्ट फायर्स हो रहा है, उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं।

(प्रश्न संख्या 86)

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा है। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से था कि नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2018-19 में उन्होंने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में पेपर तैयार किया था, डिस्कस किया था- [अनुवाद] नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंध में अनुसंधान और विकास को मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। [हिन्दी] हमने यही सवाल पूछा था। नीति आयोग ने वर्ष 2018 में डिसकस किया। आज जो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, उसमें [अनुवाद] "नीति आयोग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी राष्ट्रीय रणनीति (एन.एस.ए.आई.) में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई है।" [हिन्दी] जो वर्ष 2018 के डिसकशन में थे, उन सारी चीजों को दिया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि आज जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात पूरी दुनिया में चल रही है और आज भी भारत में या दुनिया में ह्यूमन बिंग को अगर सबसे सर्वोच्च बनाने का काम करती है तो वह इंटेलिजेंस ही करती है। दूसरे ह्यूमन बिंग के बजाय मनुष्य के पास इंटेलिजेंस है, इसलिए वह सर्वोच्च है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में हो रही है तो क्या आप भविष्य में आने वाले दिनों में इस पर कोई पॉलिसी बनाएंगे?

नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिसकसन किया है। आप कह रहे हैं कि इसके लिए इलेक्ट्रानिक एण्ड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी है। [अनुवाद] आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में टेम्पलेट और आवश्यक कानूनी और विनियामक ढांचे के विकास के बारे में। [हिन्दी] मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई नीति बनाएगी?

डॉ. हर्ष वर्धन : सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अमर्जिंग एरिया है। हमारी सरकार डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और हमारे प्रधान मंत्री जी इसके लिए बहुत पैशनेट हैं। आजकल काफी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी होता है। आज हम मेडिकल फील्ड्स में इसका बहुत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि आयुष्मान भारत में फ्रॉड डिटेक्शन को भी, जो अस्पतालों में कहीं भी किसी भी लेवल पर हो रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो भी साइंस

हो सकती है, उसमें भी आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक सरकार का सवाल है तो इसके संदर्भ में नीति आयोग ने बहुत विस्तृत चर्चा की है। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी डिटेल में डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर दिए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को देश में कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए आप जिस कमेटी की चर्चा कर रहे हैं, वह कमेटी आगे चर्चा करे कि इसके बारे में हमारा रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? इसके साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वह भी डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी के बारे में लॉ बनाने के लिए विस्तार से चर्चा कर रही है। एक-डेढ़ साल पहले सरकार ने कैबिनेट में एक नेशनल मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम पॉलिसी बनाई थी, जिसमें लगभग 3,660 करोड़ रुपये के करीब खर्च होना था। हमारी कैबिनेट ने ऐसी पॉलिसी अप्रूव की थी। साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी मंत्रालय देश में 20 इनोवेशन हब स्थापित कर रहा है, जिसमें से एक हब एक्सक्लूसिवली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करेगा। मेरा माननीय सदस्य को यह कहना है कि कमिटमेंट के मामले में, वीजन के मामले में, तैयारी के मामले में या जो हम करना चाहते हैं या हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, उसमें हम दुनिया से कम नहीं है। विज्ञान का जनता के हित में और सभी क्षेत्रों में किस तरह से ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं, वह हम कर रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत सरकार इस पर बहुत फोकस कर रही है। प्रधान मंत्री जी को भी बहुत चिंता है। [अनुवाद] वर्ष 2018 में जारी नीति आयोग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी राष्ट्रीय रणनीति संबंधी चर्चा पत्र को ध्यान में रखते हुए, सरकार इसे लागू करने के लिए क्या उपाय कर रही है? इसी दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक निवेश 2021 तक 57.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और हम वर्ष 2020 में हैं। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों संबंधी राष्ट्रीय मिशन के लिए अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिए 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। क्या सरकार इस संबंध में विस्तृत जानकारी दे सकती है?

[हिन्दी]

डॉ. हर्ष वर्धन : आप जो सवाल पूछ रहे हैं, उसका आपने ही जवाब दे दिया है। आपने कहा है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए बजट में आठ हजार करोड़ रुपये का अनाउंसमेंट हुआ है। मैंने आपको साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में भी बताया है। यह स्ट्रैटेजी पेपर बहुत ज्यादा अध्ययन करके, स्टेकहॉल्डर्स से बातचीत करके बनाया गया है। इसमें सभी तरह के लोग शामिल है। अभी स्ट्रेटजी पेपर्स की जो फाइंडिग्स है या नेशनल स्ट्रेटेजी बनी है, यह आने वाले समय में कैबिनेट के पास जाएगी। कैबिनेट इसके बारे में और ज्यादा तेजी से निर्णय लेगा। इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट और कमिटमेंट तो पहले से ही है। मैंने साइबर फिजिकल सिस्टम्स के बारे में बताया है। अभी आपने स्वयं उल्लेख किया है कि इस बार के बजट में क्वांटम मैकेनिक्स और अन्य चीजों के लिए आठ हजार करोड़ रुपये का अनाउंसमेंट हुआ है।

जो स्टेट ऑफ द आर्ट, लेटेस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में आलरेडी सरकार और हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री काम कर रही है। अभी हम पब्लिकेशन्स के मामले में दुनिया में तीसरे नम्बर पर पहुंच गए हैं और लगभग हर पैरामीटर पर हम पहले दस नेशन्स में हैं। प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में टॉप टू-थ्री साइंटिफिक नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड में हमारा नाम दर्ज हो, इसलिए सरकार इस मामले में पर्याप्त चिन्तित है और पर्याप्त काम भी कर रही है।

[अनुवाद]

श्री मनीश तिवारी: माननीय अध्यक्ष महोदय, चौथा औद्योगिक युग जिसमें डिजिटलीकरण, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं, कार्यस्थल को पूरी तरह से बदल देगा। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, भारत में सभी विनिर्माण नौकरियों में से 67 प्रतिशत नौकरियां रोबोटीकरण के कारण समाप्त हो जाएंगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी से मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि इस प्रतिमान को देखते हुए, क्या उनके मंत्रालय ने कोई अध्ययन किया है कि इस चौथे औद्योगिक युग, डिजिटलीकरण, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्यस्थल पर क्या प्रभाव होगा? इसके परिणामस्वरूप भारत में कितनी

नौकरियाँ समाप्त होने वाली है; और इस चौथे औद्योगिक युग के परिणामस्वरूप कितनी नई नौकरियाँ सृजित होने वाली है?

डॉ. हर्ष वर्धन: मुझे लगता है, हम कह सकते हैं कि हम दुनिया भर में इस क्षेत्र में हो रही सभी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं; और हम वह सब कुछ कर रहे हैं जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि हमारे देश के लोग भी उसी तरह लाभान्वित हो सकें जैसे अन्य देशों के लोग हो रहे हैं। इसलिए, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक नौकरियों के समाप्त होने और इससे जुड़ी समस्याओं का संबंध है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर पहले से ही अध्ययन किया जा रहा है और इसकी जांच की जा रही है, और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जा रहा है।

जहां तक इन सभी रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि का संबंध है, हम बाकी दुनिया के साथ तालमेल बनाए हुए हैं; और मैं इस सभा में यह वादा कर सकता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि देश में रोजगार की स्थिति पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

श्री मनीश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था। क्या उन्होंने इस पर कोई अध्ययन किया है?

…(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 87 और 89 क्लब कर दिए हैं।

श्री अजय निषाद।

(प्रश्न संख्या 87 और 89)

श्री अजय निषाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत व्यापक जवाब दिया है, फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ दि एल्डरली (एनपीएचसीई) में पिछले पांच वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई?

[अनुवाद]

डॉ. हर्ष वर्धन: महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि इस योजना के तहत, वास्तव में, हमने वृद्ध लोगों के लिए दो राष्ट्रीय केंद्र बनाए हैं। ये मद्रास मेडिकल कॉलेज और एम्स में हैं। इन दोनों केंद्रों में से प्रत्येक के लिए हमने 270 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। हमने 19 क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्र भी बनाये हैं। इन क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्रों में हमारे पास 30 बेड वाले अंतरंग रोगी विभाग, फिजियोथेरेपी, प्रयोगशालाएं और विशेषीकृत मानव संसाधन उपलब्ध हैं। हम इनमें से प्रत्येक केंद्र को 4 करोड़ रुपये प्रदान करते हैं।

महोदय, हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से देश के 713 ज़िला अस्पतालों में 10-बेड वाले जराचिकित्सा वार्ड, फिजियोथेरेपी, प्रयोगशालाओं आदि के निर्माण के लिए पूर्ण सहायता प्रदान की है। यह सुविधा 3,430 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी उपलब्ध है जहां हमारे पास फिजियोथेरेपी, प्रयोगशालाओं आदि के साथ वरिष्ठ वृद्ध रोगियों के लिए 2-दिन का विशिष्ट ओ.पी.डी. है। महोदय, 552 जिलों में हमने पहले ही ओ.पी.डी. शुरू कर दी है; और हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एक प्रावधान है जिसके तहत हम राज्यों को बुजुर्गों की देखभाल के लिए विशेष रूप से दो डॉक्टरों को काम पर रखने में मदद करते हैं।

[हिन्दी]

श्री अजय निषाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई द्वारा जमा की गई एलएएसआई रिपोर्ट के क्या परिणाम हैं?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, यह स्टडी वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गई थी। इसका करीब 61 हजार सैम्पल साइज था और 61 हजार एल्डरली लोगों के साथ अध्ययन किया गया था। इसके दो फेजेज वेव-1 और

वेव-2 हैं। फेज वेव-1 कम्प्लीट हुआ है, जिसमें 61 हजार लोगों से बातचीत करके कल शाम को ही रिपोर्ट डिपार्टमेंट में सब्मिट की गई है। इन्हीं 61 हजार लोगों के बीच में यह स्टडी दोबारा की जाएगी, जिसे वेव-2 कहेंगे। इसमें हैल्थ स्टेटस, हैल्थ केयर फैसिलिटीज, सोशल स्टेटस, उनकी इकोनॉमिक कंडिशन के बारे में डिटेल में चीजें बताई गई हैं। जैसे ही यह स्टडी कम्प्लीट होगी, तब इसके बारे में रिपोर्ट पेश की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी : प्रश्न संख्या 89।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): महोदय, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं प्रिय श्री राहुल गांधी जी के इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, देश के प्रधान मंत्री के खिलाफ उन्होंने जिस अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है, उसकी निंदा करता हूँ। …*(व्यवधान)* हाल ही में एक भाषण में, उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया: [हिन्दी] 'छ: महीने बाद इस देश के युवा नरेन्द्र मोदी को डंडे मार-मार कर देश से बाहर कर देंगे।' [अनुवाद] मुझे आश्चर्य है कि श्री गांधी के पिता भारत के प्रधान मंत्री थे और मुझे नहीं लगता कि हमारे पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ ऐसी अजीब और व्यक्तिगत टिप्पणियाँ की होंगी, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न रही हों…*(व्यवधान)* कभी यह धमकी नहीं दी कि देश के युवा उन्हें *डंडों* से मारेंगे और देश से बाहर निकाल देंगे…*(व्यवधान)* यहां उपस्थित पूरी सभा को स्पष्ट शब्दों में माननीय प्रधान मंत्री के विरुद्ध प्रयोग की गई उनकी भाषा की निंदा करनी चाहिए। …*(व्यवधान)*

[3*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 88 और 90 से 100

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150)

[3*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

पूर्वाह्न 11.52 बजे

(इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सभा एक बजे तक के लिए स्थगित होती है।

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न एक बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.00 बजे

लोक सभा अपराह्न एक बजे पुनः समवेत हुई।

(डॉक्टर (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी *पीठासीन हुए*)

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति: सब लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही दो बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.01 बजे

[अनुवाद]

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री ए. राजा *पीठासीन हुए*)

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, कांग्रेस सांसद का व्यवहार पूरी तरह से अशोभनीय और अनुचित है। उन्होंने आकर कागज छीनने की कोशिश की। यदि कुछ भी गलत कहा गया है तो निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष महोदय का है। इसके बजाय मंत्री जी पर आकर हमला करने का प्रयास करना अत्यधिक निंदनीय है. …*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : सभा सोमवार, 10 फरवरी, 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.02 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 फरवरी, 2020 / 21 माघ, 1941

(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2020 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित